चुनाव सुधार: नये दिशा संकेत– चुनाव सुधारों के लिए पिछले दशक से सरकार चिंतित और प्रयत्नशील है। 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करें मतदान की आयु 21 वर्ष के बजाय 18 वर्ष कर दी गई है। पंजाब के निर्वाचनों को ध्यान में रखकर सरकार ने 19 जनवरी, 1992 को एक अध्यादेश जारी कर संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचनों में प्रचार की न्यूनतम आधिकारिक अवधि को 20 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया।

जन-प्रतिनिधि (संशोधन) अधिनियम, 1996 के चुनाव कानून में पहली अगस्त 1996 से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू हुए हैं। इन परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं

(1) राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम सम्बन्धी अधिनियम, 1971 के तहत अपराधी पाए जाने पर अयोग्य घोषित करना— राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम सम्बन्धी अधिनियम, 1971 की धारा 2 (भारत के राष्ट्रीय ध्वज या भारतीय संविधान का अपमान करने का अपराध) या धारा 3 (राष्ट्रगान के गायन में बाधा पहुंचाने का अपराध) के अन्तर्गत अपराधी पाए जाने वाले व्यक्ति को, जिस दिन से वह अपराधी घोषित किया गया है, उस तिथि से छह वर्ष की अवधि के लिए संसद और राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के अयोग्य समझा जाएगा।

(2) जमानत राशि और नाम प्रस्तावित करने वालों की संख्या में वृद्धि–संसद अथवा राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को जो जमानत राशि जमा करानी पड़ती है, उसे बढ़ा दिया गया है ताकि ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके जो चुनाव लड़ने के प्रति गम्भीर नहीं हैं। संसदीय चुनाव में सामान्य उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए 250 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। राज्य विधानसभा के चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को पांच हजार रुपये और अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 2,500 रुपये की जमानत राशि जमा करानी होगी। पहले यह जमानत राशि क्रमश 250 रुपये और 125 रुपये जमा करानी होती थी। संशोधित कानून में यह भी व्यवस्था की गई है कि जो उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के दल का नहीं होगा, वह संसदया विधानसभा में नामजदगी के लिए नामांकन तभी दाखिल कर सकेगा, जब उसके नाम का प्रस्ताव उस निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम 10 मतदाताओं द्वारा किया जाए। किसी मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार के लिए एक ही प्रस्तावक काफी है नाम वापस लेने और मतदान की तारीख के बीच न्यूनतम अवधि 20 दिन से घटाकर 14 दिन कर दी गई है।

(3) दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का प्रतिबन्ध कोई भी उम्मीदवार अब आम चुनाव अथवा उसके साथ-साथ होने वाले किसी उप-चुनाव में दो से अधिक संसदीय अथवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से

एक साथ चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार का प्रतिबन्ध राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनावों और उप-चुनावों के लिए भी लागू है।

(4) उम्मीदवारों के नामों की सूची- उम्मीदवारों के नामों की सूची तैयार करने के लिए उनका वर्गीकरण नीचे दिए गए। तरीके के अनुसार किया जाए– (क) मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार, (ख) पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार, और (ग) अन्य (निर्दलीय) उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और मत-पत्रों में इनके नाम ऊपर बताए गए क्रम के अनुसार प्रकाशित होंगे तथा प्रत्येक वर्ग में नाम वर्णानुक्रम से रखे जाएंगे।

(5) उम्मीदवार की मृत्यु होने पर पहले किसी उम्मीदवार की मृत्यु होने पर चुनाव रद्द कर दिया जाता था। भविष्य में किसी उम्मीदवार की मृत्यु होने पर चुनाव रद्द नहीं होगा। लेकिन यदि मृत उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के दल का होगा तो सम्बन्धित दल को यह छूट दी जाएगी कि वह इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग द्वारा सम्बद्ध दल को इस आशय का नोटिस जारी किए जाने के एक सप्ताह के भीतर अपने किसी दूसरे उम्मीदवार को नामजद कर सकता है।मतदान केन्द्र के पास सशस्त्र जाने पर प्रतिबन्ध - किसी भी प्रकार का हथियार लेकर मतदान केन्द्र के आसपास जाना, शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत अब संज्ञेय जुर्म है तथा ऐसे मामले में दो साल तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। इस कानून का उल्लंघन करने वाले के पास से मिले हथियार को भी जब्त कर लिया जाएगा और इस सम्बन्ध में जारी किया गया लाइसेंस भी रद्द समझा जाएगा। लेकिन ये व्यवस्थाएं चुनाव अधिकारी, मतदान अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी या फिर ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होंगी, जिसे मतदान केन्द्र पर शांति एवं व्यवस्था कायम रखने के लिए नियुक्त किया गया हो।

(7) मतदान के दिन कर्मचारियों को वेतन सहित अवकाश देना—सभी पंजीकृत मतदाताओं को जो किसी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक संस्थान अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्य करते हों, मतदान के लिए सवेतन छुट्टी पाने का अधिकार है। यहां तक कि उस दिन दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारी को भी उस दिन का वेतन मिलेगा। लेकिन यह व्यवस्था उस मतदाता पर लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस संस्थान को कोई खतरा अथवा कोई बड़ा नुकसान होने का डर हो, जिसमें वह कार्य करता है। इस कानून का उल्लंघन करने वाले मालिक पर 500 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

होटल अथवा (8) शराब की बिक्री आदि पर प्रतिबन्ध—मतदान क्षेत्र के पास स्थित किसी भी दुकान, खाने-पीने के स्थान, किसी भी अन्य स्थान पर चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक, शराब या कोई अन्य नशीला पदार्थ बेचा, परोसा, या बांटा नहीं जा सकता है। यह प्रतिबंध 48 घंटे के लिए तब तक लागू होगा, जब तक मतदान समाप्त न हो जाए । इस कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को छह महीने की सजा या 2,000 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।

(9) उप-चुनाव के लिए समय-सीमा—संसद अथवा राज्य विधानसभा के किसी भी सदन में स्थान रिक्त होने पर अब छह महीने के भीतर उसे भरने के लिए उप-चुनाव कराना होगा। लेकिन यह व्यवस्था उस स्थिति में लागू नहीं होगी, जब उस सदस्य की सदस्यता की अवधि केवल एक वर्ष रह गई हो, जिसकी रिक्ति भरी जानी है या फिर जहां निर्वाचन आयोग, केन्द्र सरकार की सलाह से यह प्रमाणित करे कि निर्धारित अवधि में उप-चुनाव करा पाना सम्भव नहीं है।

तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री टी. एन. शेषन ने चुनावों की खामियों को दूर करने के लिए कई कदम उठाये मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना, चुनावों में •फिजूलखर्ची रोकने के लिए पर्यवेक्षक तैनात करना, मतदान के • पहले छह दिन 'ड्राइ डे' घोषित करना, आदि। जनप्रतिनिधित्वकानून 1951 में संशोधन किया गया है ताकि मतदान में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का इस्तेमाल किया जा सके। जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत एक नई धारा 13 'ग' शामिल की गई जिसमें यह प्रावधान है कि चुनावों के लिए मतदान सूचियों को तैयार करने, संशोधित करने और उन्हें ठीक-ठाक करने के लिए लगाए गए कर्मचारी और अधिकारी उस अवधि के लिए चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे, जिसमें वे इस तरह का काम करते हैं और उन पर चुनाव आयोग का नियन्त्रण, अधीक्षण तथा अनुशासन लागू होगा। सरकार ने कानून बनाकर निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बना दिया है।